## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

## पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 228/2015**

1. मनप्रीतसिंह | पिसरान विजयसिंह जाति जटसिख निवासी 9 वाई तहसील व
2. हरप्रीतसिंह | जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र गुरबक्ससिंह जाति जटसिख निवासी 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 07.10.2015

**उपस्थितिः—**

श्री जसवीरसिंह मिशन अभिभाषक अपीलार्थी

श्री गुरप्रीतसिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 16.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्राथी आपस में पुत्र पिता है। प्रार्थीगण का पिता शराब का सेवन करता है उसके नाम से चक 9 वाई के मु.नं.11 में 2.656है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी उक्त भूमि को रहन, बैय आदि द्वारा हस्तांतरण करना चाहता है। यदि ऐसा करने में अप्रार्थी सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा।

16/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करें। अप्रार्थी ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है। विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में नहीं आती। प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 07.10.2015 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट रेस्पों. सं. 1 के पुत्र हैं। अपीलांट का पिता नशे का आदी है। विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलांट का हक व हिस्सा बनता है। रेस्पों. विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाहता है। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो प्रार्थीगण के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. की स्वअर्जित भूमि है। रेस्पों. अभिलिखित खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस तथ्य बाबत कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थीगण रेस्पों. के पुत्र है। विवादित भूमि रेस्पों. की खातेदारी भूमि है जिससे अपीलांट ने इन्कार नहीं किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पों. सं. 1 विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित

16/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस प्रकार अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर